"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 188] रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 मई 2013—वैशाख 18, शक 1935

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-04/01/2010/14-2.—यत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने नारायणपुर के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में से कांकेर जिले के अंतर्गत पखांजूर एवं अंतागढ़ तहसील को विभाजित करते हुए एवं नारायणपुर जिले के अंतर्गत नारायणपुर एवं ओरछा तहसील के संपूर्ण वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्रों को समाविष्ट करते हुए, कृषि उपज मण्डी, नारायणपुर के संशोधित मण्डी क्षेत्र के प्रस्ताव हेतु अधिसूचना क्र. 2845 दिनांक 23-07-2011 के द्वारा अपने आशय को संसूचित किया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा कांकेर जिले के समस्त वनग्रामों सहित अंतागढ़ एवं पखांजूर तहसील के मण्डी क्षेत्रों, जैसा कि इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित है, को समाविष्ट करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित कृषि उत्पादों की खरीदी एवं बिक्री को विनियमित करने के लिए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, पखांजूर में एक मण्डी स्थापित करने के, अपने आशय की घोषणा करती है.

अतएव, एक नई मण्डी स्थापित करने का उपरोक्त उल्लिखित प्रारूप, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक माह के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व, प्रमुख सचिव (कृषि) छत्तीसगढ़ शासन (कक्ष क्र. S4-04) महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़

शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

अनुसूची

पखांजूर मण्डी समिति के लिए प्रस्तावित मण्डी क्षेत्र :—

(क) कांकेर जिले के अंतर्गत अंतागढ़ एवं पखांजूर तहसील के वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्र.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 मई 2013

क्रमांक/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2052/रायपुर दिनांक 08-05-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 8th May 2013

NOTIFICATION

No./F-04/01/2010/14-2.—WHEREAS, the State Government of exercise of the powers conferred under clause (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), had signified its intention vide Notification No. 2845 dated 23-07-2011 to split up Tahsil Pakhanjur and Antagarh under Kanker District from the existing notified market area of Narayanpur and to propose amended market area of Krishi Upaj Mandi Samiti Narayanpur, comprising of complete area of Narayanpur and Orcchha Tahsil inclusive of all forest villages under District Narayanpur.

Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare its intention to establish a market at Pakhanjur of the purpose of the said Adhiniyam, for regulating the purchase and sale of agricultural produce mentioned in the Schedule of the said Adhiniyam, for comprising of the market area of Tahsil Antagarh and Pakhanjur inclusive of all the forest villages of Kanker District as mentioned in the Schedule of this notification.

Now, therefore, the above referred draft to establish a new market area, is hereby, published as required by sub-section (2) of Section 3 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of one month from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objections or suggestion which may be received from any person, with respect to the said draft before the expiry of the period specified above, in office hours by the office of the Principal Secretary (Agriculture), Government of Chhattisgarh, (Room No. S4-04), Mahanadi Bhawan, Mantralaya, New Raipur will be considered by the Government of Chhattisgarh.

SCHEDULE

Proposed Mandi area of Pakhanjur Market :—

(A) Complete area of Antagarh and Pakhanjur Tahsil inclusive of forest villages under Kanker District.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 8 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-04/01/2010/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (चार) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने नारायणपुर के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में से कांकेर जिले के अंतर्गत पखांजूर एवं अंतागढ़ तहसील को विभाजित करते हुए एक कांकेर जिले के अंतर्गत पखांजूर एवं अंतागढ़ तहसील को समाविष्ट करते हुए अंतागढ़ में एक नई मण्डी स्थापित करने हेतु अधिसूचना क्र. 2847/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर दिनांक 23-07-2011 के द्वारा अपने आशय को संसूचित किया है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 71 की उपधारा (2) के खंड (घ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उल्लिखित पूर्ववर्ती अधिसूचना का इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रतिसंहरण किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 मई 2013

क्रमांक/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2054/रायपुर दिनांक 08-05-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 8th May 2013

NOTIFICATION

No./F-04/01/2010/14-2.—The State Government, vide Notification No. 2847/F-04/01/2010/14-2, Raipur, Dated 23-07-2011, in exercise of the powers conferred under clause (iv) of sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), had signified it's intension to split up Tahsil Pakhanjur and Antagarh under Kanker District from the existing notified present market area of Narayanpur and to establish a new Market at Antagarh comprising of Tashil Pakhanjur and Antagarh under District Kanker.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 71 of the said Act, the State Government, hereby, directs that the above mentioned, earlier notification shall be revoked with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.